कार्यालय कलेक्टर जिला–मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र. 31/अ-82/भू–अर्जन/2016–17 5281 मुरैना, दिनांक : 7/7/2017

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम सिकरौदा, तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला–मुरैना में कुल रकवा 1.550 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला–मुरैना तहसील–जौरा के ग्राम–सिकरौदा प.ह.नं. 45, रा.नि. वृत–03 में उक्त परियोजना के लिये 1.550 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:–

अनुसूची

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	527	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.682	रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि. 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी स्टेशन रोड़ जौरा
2	526	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.598	रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि. 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी स्टेशन रोड़ जौरा
3	572/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.004	हरी पुत्र जीवनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4	572/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.001	मु. रामकली बेवा शिवचरन, प्रयागनारायण, उम्मेद, भूरा, रामविलास पुत्रान् शिवचरन, सरोज पुत्री रामकली स.भाग जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5	521	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.004	रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि. 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी स्टेशन रोड़ जौरा
6	493	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.009	भूरा पुत्र भंवरसिंह हि. 1/2 राजू पुत्र छोटेसिंह हि.1/2 जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

7	492	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.006	भूरा पुत्र भंवरसिंह हि. 1/2 राजू पुत्र छोटेसिंह हि.1/2 जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	597	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.081	भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9	483	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.065	भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10	536	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.015	कमलेश पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11	532	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.047	आशाराम, रामहेत पुत्रान् रंजीत जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
12	533	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.038	आशाराम, रामहेत पुत्रान् रंजीत जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
		कुल		1.550	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि ~~पर~~ कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना
तारीख : 7/7/17

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)

पृष्ठां. प्र.क्र./31/31-62/ ~~/~~/भू–अर्जन/2016–17/5281/ मुरैना, दिनांक : 7/7/2017

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा, जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, परगना जौरा की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिंग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)